

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4978/नौ-5-15-248सा/2015
लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्मार्ट सिटीज मिशन' योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत देश के 100 शहरों को चयनित किया जाना है, जिनमें से 13 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन, आर.एफ.पी. डायग्राम को वित्तीय मदद, आर.एफ.पी. डायग्राम को अग्रिम रूप देने हेतु सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	सचिव, नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
2	अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।	सदस्य
3	लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।	सदस्य
4	सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषदों के नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी	सदस्य
5	क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के प्रतिनिधि/सम्बन्धित कार्य देख रहे अधिकारी	सदस्य
6	मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।	सदस्य सचिव


उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-4978(1)/नौ-5-15-248सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (2) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- (3) मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- (4) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (5) सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (6) सम्बन्धित अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (7) अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (8) लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- (9) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।
